फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:18-233(एसआईलिपिक)(दिनेश पाल सिंह)/2024 दिनांक:लखनऊ:अगस्त 02 ,2024

आदेश

पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) दिनेश पाल सिंह पी0एन0ओ0-922390076 जनपद-मैनपुरी द्वारा योजित निर्देश याचिका संख्या:2143/2023 दिनेश पाल सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2024 के आलोक में याची को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा प्रदत्त दण्डादेश संख्या:द-48/2022 दिनांक 06.09.2022 अपास्त हो जाने के फलस्वरूप पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(28)/2023 दिनांक 26.07.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल एवं तत्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल एवं तत्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क.	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	922390076	दिनेश पाल सिंह	स्व0सवल सिंह	2023	जनपद-मैनपुरी

3. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाना पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल/नियमित पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। इनकी वरिष्ठता चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति पाये इनसे वरिष्ठ कर्मी एवं इनसे कनिष्ठ कर्मी के मध्य यथास्थान निर्धारित किया जायेगा।

[signature] 04/08

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना)
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

3. पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) दिनेश पाल सिंह, पी0एन0ओ0-922390076 को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनाँक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)--पुत्र ----------------निवासी------------------थाना--------------जनपद------------------

वर्तमान में(जनपद/इकाई)--नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ किः–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई------------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः------को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------धारा-------------------------थाना-------------

जनपद---------में लम्बित है, जिसमें दिनांकः---------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-------------स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।